पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पायका)

प्रतिवेदन

योजना का परिचय एवं मुख्य घटक

भारत सरकार की राष्ट्रीय खेल नीति 2001 में ग्राम स्तर पर आधारित खेल गतिविधियों पर विशेष जोर देते हुए खेलों के राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय स्तर उन्नयन पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। परिणामतः भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 6–1/ 2007–Sp.–IV दिनांक 06.05.2008 द्वारा 'पंचायत युवा क्रीडा एवं खेल अभियान' की गाइड लाईन जारी करते हुए देश के सभी राज्यों में इसके क्रियान्वयन की घोषणा की गई है। गाइड लाईन को पुनः दिनांक 09.04.2009 को परिमार्जित किया गया है।

(क) योजना का राज्य में क्रियान्वयन :–

(अ) कार्यकारी समितियों का गठन

योजना के राज्य में क्रियान्वयन हेतु निम्न कार्यकारी समिति गठित की गई है :–

स्तर	अध्यक्ष	सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति	मुख्य सचिव	सचिव रा.रा.क्री.प.
जिला स्तरीय कार्यकारी समिति	जिला प्रमुख	जिला खेल अधिकारी
ब्लॉक स्तरीय कार्यकारी समिति	विकास अधिकारी, संबंधित स्कूल का प्रधानाध्यापक, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं क्रीडाश्री	
पंचायत स्तरीय कार्यकारी समिति	संबंधित पंचायत का सरपं, संबंधित स्कूल का प्रधानाध्यापक, संबंधित पंचायत का ग्राम सेवक एवं क्रीडाश्री	

(ब) क्रीडा परिषद् नोडल एजेन्सी

राज्य सरकार ने अपने आदेश क्रमांक प 3 (2) खेल/2006 दिनांक 23.10.2008 के द्वारा रा.रा.क्री.परिषद् को राज्य की नोडल एजेन्सी बनायी गई है।

(स) योजना का क्रियान्वयन जिला परिषदों व खेल अधिकारियों के माध्यम से

दिनांक 13.05.2009 के द्वारा पायका योजना में निधियाँ जिला परिषदों को हस्तान्तरित करवाकर योजना का क्रियान्वयन कराया गया है, तद्नुसार वर्ष 2008–09 में योजना निधियाँ जिला परिषदों को हस्तान्तरित की गई है। राज्य सरकार ने योजना के आगामी चरणों की राशि जिला क्रीडा परिषदों के पर्यवेक्षण में विद्यालय विकास/मैनेजमेन्ट समिति के माध्यम से कराये जाने का निर्णय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति (PYKKA) की बैठक में दिनांक 04.01.2012 को किया जा चुका है।

(ख) योजना के घटक

योजना के उद्देश्यों में प्रमुखतः ग्रामीण स्तर पर नियमित गतिविधियों के माध्यम से खेल का बेहतर वातावरण तैयार करना है। इसके लिए आवश्यक संसाधन जुटाने के लिए योजना में निम्न घटक बनाये गये है :–

1. एक मुश्त पूंजीगत अनुदान (One time capital grant)

यह अनुदान केन्द्र प्रवर्तित सहायता के रूप में खेलों की आधारभूत संरचना के विकास हेतु 75:25 समरूप अंशदान अनुपात में क्रमशः केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा योजना प्रारम्भीकरण में 9 वर्षो (2016–17) तक प्रदान किया जावेगा। इस अनुदान से खेल मैदानों का विकास, समतलीकरण आदि कार्य चयनित ग्रामों में किया जा सकेगा।

योजना में राजस्थान की कुल 9168 ग्राम पंचायतों में से प्रथम चार वर्षो तक 10% पंचायतों का चयन उक्त योजना में किया जायेगा, तत्पश्चात् 12% ग्राम पंचायतों का चयन किया जायेगा ताकि योजना अवधि (2016–17) में राज्य की समस्त पंचायतें लाभान्वित हो सके।

2. वार्षिक अधिग्रहण अनुदान (Annual Acqusiton Grant)

यह अनुदान भारत सरकार द्वारा पॉच वर्षो तक समस्त पायका खेल केन्द्रों पर विभिन्न चयनित खेलों के खेल उपकरण तथा सहायक सामग्री के लिए प्रदान किया जावेगा जो पूर्णतः केन्द्रीय अनुदानित होगें।

3. **वार्षिक प्रचलानात्मक (Operational) अनुदान :–**

समस्त ग्राम/ब्लॉक पंचायत पायका खेल केन्द्रों पर एक–एक क्रीडाश्री मानदेय पर लगाये जाने का प्रावधान है। यह अनुदान भी भारत सरकार द्वारा पॉच वर्षो तक क्रीडाश्री को मानदेय, खेल उपकरण संधारण व खेल मैदानों की संरचना के रख–रखाव हेतु पूर्णतः प्रदान किया जाता है, बाद में इसमें कार्यालय उपकरण व MIS जैसे मद भी शामिल कर लिये गये है।

4. **वार्षिक प्रतियोगिता अनुदान (Annual Competition Grant) :–**

विगत वर्षो में ग्रामीण खेल प्रतियोगिताऐं राज्य सरकार द्वारा आयोजित करायी जाती रही है। इस आयोजन को 'पायका' योजना के समाहित करते हुए ब्लॉक, जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक प्रतियोगिताओं के आयोजन पायका योजना में किया जाता है। ब्लॉक एवं जिला स्तर प्रतियोगिताओं के आयोजन का समस्त व्यय केन्द्र सरकार द्वारा अनुदानित होता है, परन्तु खिलाडियों के आने–जाने का किराया राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता पर आने वाला व्यय राज्य सरकार को वहन करना होता है।

योजना की प्रगति

एक मुश्त अनुदान राशि (One Seed Capital Grant)

पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 869 ग्राम पंचायतों व 24 ब्लॉक पंचायतों को चिन्हित कर आधारभूत खेल अवरचना मैदानों का विकास कार्य जिला परिषद् व ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया गया है। प्रथम चरण में प्रथम किश्त व द्वितीय किश्त मिलाकर अब तक 881.13 लाख रू0 व्यय किये जा चुके है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उपयोगिता प्रमाण पत्र बाबत् हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार 7 जिलों (अलवर, भरतपुर, दौसा, जालौर, नागौर, सिरोही, प्रतापगढ) जिनका उपयोगिता प्रमाण पत्र आवंटित राशि का 25 प्रतिशत से कम था। उन्हें एक मुश्त पूंजीगत अनुदान की दूसरी किश्त

जारी नहीं की गयी। अब यह उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित सीमा 25 प्रतिशत के प्राप्त हो गये है। अतः निकट भविष्य में यह अनुदान जारी किया जा रहा है।

द्वितीय चरण एक मुश्त अनुदान :– वर्ष 2009–10 के द्वितीय चरण का सर्वे हो चुका है जिसमें 917 ग्राम पंचायतो व 25 ब्लॉक पंचायतों का जनंसख्या के आधार पर चयन कर भारत सरकार को एक मुश्त अनुदान का भिजवाये गये प्रस्ताव के विरूद्ध रू0 781.50 लाख स्वीकृत कर दिये गये है तथा द्वितीय चरण की प्रथम किश्त की राशि रू0 274.76 लाख दिनांक 04.04.2012 को प्राप्त हो चुके है। राज्य सरकार का अंशदान रू0 91.58 लाख भी क्रीड़ा परिषद को प्राप्त हो चुका है। प्रथम चरण की सी.सी. प्राप्त होते ही शीघ्र ही इसे जिलों में भिजवाया जा रहा है।

<u>वार्षिक अधिग्रहण व प्रचलनात्मक अनुदान</u> (Annual Acqusition and Oparetional Grant)

योजना के प्रथम चरण के राज्य के चयनित खेलों में खेल उपकरण क्रय कर पायका केन्द्रों पर भिजवाये जा चुके है तथा 869 ग्राम पंचायतों व 24 ब्लॉक पंचायतों में क्रीडाश्री लगा दिये गये है। इन्हें इस मद में भारत सरकार से प्राप्त 100.87 लाख के विरूद्ध रू0 97.330 लाख का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को भिजवा दिया गया है। द्वितीय चरण की राशि का प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया हुआ है परन्तु सयुक्त सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ दिनांक 30.11.2011 तत्कालीन शासन सचिव महोदय की हुई बैठक में भारत सरकार द्वारा यह अवगत कराया गया है कि एक मुश्त पूंजीगत अनुदान की प्रथम किश्त की शत–प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही वार्षिक अधिग्रहण एवं प्रचलनात्मक अनुदान (Annual Acqusition and Oparetional Grant) स्वीकृत किया जायेगा।

<u>क्रीडाश्री ट्रेनिंग</u> :–

प्रथम चरण में 7 दिवसीय प्रशिक्षण प्रथम चरण माह मार्च 2010 एवं द्वितीय चरण माह अगस्त 2010 में आयोजित कर 606 क्रीडाश्री को दिया जा चुका है। इस पर रू. 11.150 लाख रू0 का व्यय किया गया है। चालू वर्ष के लिए विधिवत प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवा दिया गया है। अनुदान प्रतीक्षित है।

<u>वार्षिक प्रतियोगिता अनुदान (Annual Competition Grant)</u>

पायका प्रतियोगिता के अन्तर्गत एक राज्य स्तर पर व 32 जिला स्तर पर व 211 ब्लॉक पंचायत स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन वर्ष 2009–10 में किया जा चुका है। इसमें चयनित खिलाडियों को केन्द्र सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चयनित खेलों में

भेजा गया है। जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर जूडो प्रतियोगिता में एक स्वर्ण, एक रजत व छः कांस्य पदक प्राप्त हुये है तथा कुश्ती प्रतियोगिता में तीन कांस्य पदक व तीरन्दाजी प्रतियोगिता में एक कांस्य पदक राजस्थान को प्राप्त हुआ है। इस वर्ष इस प्रतियोगिता के आयोजन पर 153.650 लाख रू. व्यय किये गये है। वित्तीय वर्ष 2010–11 में पायका खेल प्रतियोगिताऐं राज्य स्तर से ब्लॉक स्तर तक 249 पंचायत समितियों पर आयोजन किया गया है। इस वर्ष 2010–11 राजस्थान ने पायका ग्रामीण राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। राजस्थान द्वारा पायका राष्ट्रीय ग्रामीण प्रतियोगिता 2010–11 ग्रुप– IV (बास्केटबाल व कुश्ती) का सफल आयोजन जयपुर में माह फरवरी 2011 में किया गया। इस प्रतियोगिता में बास्केटबाल बालक वर्ग में स्वर्ण पदक एवं कुश्ती 48 किग्रा बालक वर्ग में स्वर्ण पदक, कुश्ती में ही तीन और कांस्य पदक प्राप्त किये तथा जूडो में चार कांस्य पदक राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2010–11 औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में प्राप्त किये है। यह इस वर्ष की राज्य की उपलब्धि रही है। वर्ष 2010–11 में लोवर लेवल पायका ग्रामीण ब्लॉक व जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं पर 172.24 लाख रू0 व्यय किये गये है।

वर्ष 2011–12 में अनुदान प्राप्त न होने के कारण ये प्रतियोगिताऐं आयोजित नहीं हो पायी है। चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रतियोगिता आयोजित कराने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया जाना प्रक्रियाधीन है।

MIS ट्रेनिंग :–

'पायका' महानिदेशालय द्वारा भौतिक व वित्तीय प्रगति तथा योजना को On Line करने हेतु MIS ट्रेनिंग का निर्देश दिया गया है। तद्नुसार 12 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स को भारत सरकार की ट्रेनर के दिशा–निर्देशन में MIS ट्रेनिंग दी जा चुकी है। राजस्थान पायका प्रकोष्ठ राष्ट्रीय पायका मिशन डायरेक्ट्रेट, नई दिल्ली से ऑन लाईन डाटा एन्ट्री के साथ जोड़ा जा चुका है।

उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रस्तुतीकरण :–

योजना का प्रथम चरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रस्तुत किया जा चुका है। एक मुश्त पूंजीगत अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति परिशिष्ठ – 1 A व B के अनुसार है। अभी तक भारत सरकार को भिजवाये गये उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति परिशिष्ठि – 2 के अनुसार है।

PYKKA Proposals submitted to the Government of India

IInd Phase

SN	Grants	Amount	No. & Date
1	One Time Capital Grant Second Phase	Rs. 7,81,50,000/-	3647& 21-07-2010 Reminder 29-11-2011, 30-11-2011
2	Annual Acquisition	Rs 1,88,40,000/-	3750 & 22-07-2010 Reminder 29-11-2011, 30-11-2011
3	Operational Grant	Rs. 2,26,08,000/-	3750 & 22-07-2010 Reminder 29-11-2011, 30-11-2011
4	DPR	Rs. 2,50,000/-	Rs. 7.50 Lacks Received from G.O.I.
5	Kridashree Training 2009-10	Rs. 19,74,000/-	4624 & 01-11-2010
Total		**Rs. 12,18,22,000/-**	